विचार बिन्दु

बदला लेने और प्रेम करने में नारी, पुरुष से आगे होती है। –नित्शे

लोकतन्त्र का अर्थ केवल पांच वर्ष में चुनाव होना ही नहीं है

सरकार के किसी निर्णय की जब भी आलोचना होती है तो कहा जाता है कि इसे, उस सरकार द्वारा लिया गया है, जो जनता के भारी बहुमत का समर्थन पाकर सत्ता में आई है। यह सही है कि लोकतंत्र का अर्थ, ''जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा'' होता है । 'जनता द्वारा' का मतलब है, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के माध्यम से यह ज्ञात किया जाय कि किसे सर्वाधिक जनता का समर्थन प्राप्त है।

इस दृष्टि से देखा जाय तो हमारे यहां चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, किंतु इनके स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के बारे में संदेह समय समय पर व्यक्त किया जाता रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग की अवधारणा संविधान में दी गई है। यदि केवल नियमित अंतराल पर चुनाव होने के आधार पर ही किसी देश को लोकतंत्र घोषित कर दिया जाय तो फिर उत्तरी कोरिया और रूस भी लोकतंत्र कहलाएंगे। वहां के चुनाव में लगभग 100 प्रतिशत मत शासक के पक्ष में दिए जाते हैं। उसके विरुद्ध मत देने को देशद्रोह मानकर ऐसे लोगों को या तो मार दिया जाता है या जेलों में ठूँस दिया जाता है। ऐसे शासक को तानाशाह ही कहा जा सकता है, चाहे वह चुनाव के माध्यम से ही क्यों न बना हो। मजे की बात तो यह है कि उत्तरी कोरिया का तो नाम भी "Democratic People'sRepublic of Korea" है।

भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है, किंतु यहां भी शनैः शनैः लोकतान्त्रिक मूल्यों का क्षरण अवश्य हो रहा है। अतः इस विषय पर विवेचन और विश्लेषण तो होना ही चाहिए कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है?

पहले हम यह देखें कि विभिन्न राजनैतिक दल, किस-किस प्रकार के हथकंडे अपना कर चुनाव जीतते हैं। मतदाता सूचियां बनते समय, कुछ दलों के कार्यकर्ता, स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से विरोधी दलों के अनेक वास्तविक मतदाताओं का नाम गायब करवा देते हैं। इस कारण बडी संख्या में मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने से ही वंचित हो जाते हैं। मतदान के दिन भी हमने देखा है कि किस प्रकार कई लोगों को मतदान करने से बाहुबलियों द्वारा रोक दिया जाता है अथवा धन के प्रलोभन से किसी एक दल के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित किया जाता है। जब मतपत्र हुआ करते थे, 'बूथ कैपचरिंग' की घटनाएं होती थीं, जिसके कारण कई बार जो व्यक्ति जीतने का अधिकारी होता था, वह जीत से वंचित हो जाता था और कम मत प्राप्त करके भी विजयी हो जाते थे । ऐसी घटनाओं के समाचार लगभग प्रत्येक चुनाव में सुनने-पढने को मिलते रहे हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के कारण भी चुनावी रण में असमानता बढी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी अभी तक स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और उनसे सबंधित विस्तृत विवरण चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण यह सूचना सार्वजनिक नहीं हो पाई है कि किस दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि किससे प्राप्त हुई है। अब देखना यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, इस सम्बन्ध में दायर अवमानना याचिका पर क्या निर्णय लिया जाता है? हमने देखा कि, निर्वाचन की प्रक्रिया ही, किस प्रकार से लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के विपरीत काम कर सकती है। यदि निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता और निष्पक्षता से कम न करे तो चुनावी परिणाम पर संशय होना स्वाभाविक है। कई बार इसमें स्थानीय स्तर के दबाव भी काम करते हैं जिसमें सत्ताधारी दल, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर, को सदैव लाभ प्राप्त होता है। इन सब के बावजूद, यदि सत्ताधारी दल, कई बार सत्ता से बाहर हो जाता है, तो उसके लिए यहां के मतदाताओं की, उनके विवेक, निर्णय और साहस के लिए सराहना की जानी चाहिए।

अब यह देखें कि जो व्यक्ति या दल लोकतंत्र में, बहुमत के आधार पर सत्ता में आ जाते हैं, क्या वे लोकतांत्रिक तरीके से देश का शासन चलते हैं अथवा नहीं? लोकतंत्र का अर्थ केवल यही नहीं है कि एक बार चुने जाने पर अपनी मनमानी की जाए एवं बहुमत के आधार पर अल्पमत वाले लोगों को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। भारत का संविधान सभी जाति, धर्मों और वर्गों को कई प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों का हनन यदि केवल बहुमत के जोर के आधार पर किया जाएगा तो उसे लोकतंत्र के स्थान पर 'बहुमत वाद' कहना अधिक उपयुक्त होगा। शासन में बैठे व्यक्तियों से अपेक्षा रहती है कि वह प्रत्येक संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखे ताकि एक साधारण नागरिक को अपने अधिकारों से वंचित न होना पडे।

इन अधिकारों में वैसे तो कई प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं किन्तु इनमें से अभिव्यक्ति का अधिकार प्रमुख है। यदि सरकार के किसी निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपना विचार व्यक्त करे और उसे देश द्रोह मानकर कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत ही है। इसी प्रकार धर्म, जाति, आस्था, विश्वास और भाषा के आधार पर किसी को प्रताडित किया जाना भी लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

यदि सत्ताधारी दल अपने निर्णय, केवल बहुमत की ताकत के आधार पर देश पर लादने का प्रयास करे तो यह अच्छी स्थिति नहीं कहीं जा सकती है। आशा की जानी चाहिए कि सरकार, विपक्ष के महत्व को समझेगी और उसके साथ पूरा संवाद की स्थिति बनाते हुए देश एवं जनता के कल्याण के लिए कानून एवं नीतियां उसी के अनुसार बनाएगी।

यह स्वाभाविक है कि जनता से सबंधित निर्णय शासन में बैठे लोगों द्वारा ही लिए जाएंगे लेकिन यदि ऐसा निर्णय, किसी को मूल अधिकारों से वंचित करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा करने हेतु न्यायिक व्यवस्था है। देखा गया है कि कार्यपालिका अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए न्याय व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। न्याय पालिका भी अपनी सुविधा की दृष्टि से कई बार सत्ता के साथ चलना अधिक पसंद करती है। ऐसा करने से साधारण जनता के हितों की उपेक्षा हो जाती है।

भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है और केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर शासन के लिए अलग-अलग विषय बांट रखे हैं, किंतु देखा गया है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सभी स्तर पर रही है। न तो केंद्र सरकार, अपने अधिकारों को राज्य सरकार के साथ बांटना चाहती है एवं न ही राज्य सरकार, अपने अधिकारों को पंचायत या स्थानीय निकायों के साथ बांटना चाहती हैं। इससे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचती है ।

लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत ही है कि प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिले और प्रयास हो कि विभिन्न विषयों पर सर्व सम्मति बने। जिस प्रकार, कुछ वर्षों से संसद में विपक्ष की उपेक्षा करके कई महत्वपूर्ण कानून पारित कराए गए, उससे ऐसा लगा कि लोकतांत्रिक मानसिकता देश में कम होती जा रही है, विशेष कर सत्तादारी दल में। इसी का परिणाम है कि कृषि सुधार संबंधी तीन कानून, बहुमत के आधार पर पारित तो कर लिए गए किंतु किसानों के आंदोलन के दबाव के समक्ष सत्ता को झुकना पडा और प्रधानमंत्री तक को देश से सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इन कानूनों को वापस लेना पडा।

हाल ही में लगभग 150 सांसदों को केवल इस आधार पर निलंबित कर गया कर दिया गया कि वह किसी विषय पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे। बहस एवं संवाद लोकतंत्र के मुख्य आधार हैं और यदि संवाद की प्रक्रिया के स्थान पर केवल बहुमत के आधार पर 'बुलडोज़र' की तरह ही अपने निर्णयों को थोप दिया जाए तो लोकतंत्र कभी भी सुदृढ नहीं हो सकता। न केवल यह, निर्णय का विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया जाए, वह स्वीकार्य नहीं है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को धारा 370 को हटाने के निर्णय का विरोध करने के आरोप में जेल में डाल देने की कार्यवाही को गलत ठहराया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सरकार के निर्णय का आलोचना करना किसी भी प्रकार से देशद्रोह नहीं माना जा सकता।

हमें यह समझना होगा कि चुनाव होना एक बात है और चुनाव के बाद में सत्ता में आकर के लोगों के हित के लिए काम करना दूसरी बात। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, विशेष कर न्यायपालिका को।

लोकतंत्र तथा कथित चौथा स्तंभ मीडिया भी कार्यपालिका एवं विधायिका की हां में हां मिलाना प्रारंभ कर दे तो फिर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में न्यायपालिका पर ही लोगों का ध्यान जाता है। किंतु ऐसा देखा गया है कि न्यायपालिका को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद न्यायाधीशों को विभिन्न प्रकार के पदों पर नियुक्ति का प्रलोभन देकर सरकारों ने अपने पक्ष में निर्णय करने हेतु प्रभावित करने का प्रयास किया, ऐसा संदेह होता है।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, कई बार बिना औपचारिक रूप से घोषित किए भी लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में काम किया जा सकता है। जिस व्यवस्था में लोगों को अपनी बात कहने में भय होना शुरू हो जाए तो हमें यह मानना चाहिए कि हम लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए देश के प्रबुद्ध वर्गों को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि सत्ताधारी दल अपने निर्णय, केवल बहुमत की ताकत के आधार पर देश पर लादने का प्रयास करे तो यह अच्छी स्थिति नहीं कहीं जा सकती है। आशा की जानी चाहिए कि सरकार, विपक्ष के महत्व को समझेगी और उसके साथ पूरा संवाद की स्थिति बनाते हुए देश एवं जनता के कल्याण के लिए कानून एवं नीतियां उसी के अनुसार बनाएगी। विपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि वह केवल विरोध के लिए विरोध न करे। किसी भी विषय के गुण-अवगुण के आधार पर, विश्लेषण करने के बाद ही उसका समर्थन या विरोध करने का निर्णय ले। लोकतंत्र को बचाने में जितनी भूमिका सत्ता की है, उतनी ही भूमिका विपक्ष की भी है। सबसे बडी भूमिका तो जनता की है, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में देश की जनता ही देश की मालिक है, और यदि मालिक ही अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा तो फिर उसे अन्य से अपने अधिकारों की रक्षा करने की आशा करना गलत होगा।

लोकतंत्र के तीनों स्तंभों, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभाने के लिए याद दिलाने का काम मीडिया को करना होता है। दुर्भाग्य से उसने भी स्वार्थ के कारण जनता की पैरवी करना बंद कर दिया है। ऐसे मीडिया को विपक्षी दलों द्वारा 'गोदी मीडिया' का नाम दिया गया है। इस नामकरण को गलत सिद्ध करने का दायित्व मीडिया अथवा उनके संगठनों का है। आशा है वह जनहित में, अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता के हित की बात करेंगे एवं लोकतंत्र के तीन स्तंभों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए केवल प्रोत्साहित करेंगे।

दुर्भाग्य से यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम केवल नाम के लोकतंत्र रह जाएंगे। संविधान को कुचलने का एक प्रयास आपातकाल के समय हुआ था किंतु देश की साधारण जनता ने ही इस कुत्सित प्रयास को, अपने मताधिकार के प्रयोग से सफल नहीं होने दिया एवं कुछ ही समय में पुनः लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई और साधारण नागरिक की विजय हुई।

अब यह देश के नागरिकों को ही तय करना है कि हमें केवल चुनाव वाला लोकतान्त्रिक देश चाहिए या पूरी शासन व्यवस्था, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित हो, वैसा लोकतांत्रिक देश चाहिये, जिसमें सबके संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करने वाले किसानों के प्रति सरकार इतनी क्रूर, असंवेदनशील क्यों?

महावीर सिंह

राजस्थान में में अभी हाल ही में तीन घटनाएं (एक अजमेर जिले के अरांई में व दूसरी बंदर सिन्दरी में और तीसरी बार 11 मार्च को) ऐसी हुई जहां शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों के समर्थन में सभा करते, जुलूस निकालते किसानों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने निहायत घटिया प्रकार का बर्ताव किया मानों कि वो छंटे छँटाये गुंडे, बदमाश हो। 11 मार्च 24 को तो पुलिस ने, अरांई, किशनगढ़, दूदू क्षेत्र के विभिन्न गांवों से, हजारों किसानों को अपने ट्रैक्टरों के साथ गांवों से बाहर ही निकलने दिया।यह किसान जयपुर कूच करने वाले थे।

यदि यह जुलूस विभिन्न राजनीतिक-धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों का होता,जो बहुत सी बार जबरन यातायात रोकते है, बाजार बंद करवाते है तो शायद ही पुलिस-प्रशासन उन लोगों के साथ वैसा व्यवहार करती जैसा शांतिप्रिय किसानों के साथ किया गया? कारण? उनकी पैरवी करने कोई न कोई छोटा बड़ा नेता इन अधिकारियों को टेलीफोन कर देता और अधिकांशतः अधिकारी न चाहते हुए भी उनकी बात मान लेते। किशनगढ़, दूदू, अरांई के आसपास के किसानों से बात करने पर यह सामने आया कि किसान का कानून बनाने और उस पर पूरी खरीदी की मांग कर रहे थे। भारत सरकार की संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने भी वर्ष 2016 एवं 2017 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता के लिए इस प्रकार के कानून बनाने की तीन बार अनुशंसा की हुई है। तीनों काले कानून वापस लेने के बाद भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता के लिए प्रधानमंत्री स्तरीय समिति गठित करने के आश्वासन के उपरांत स्थगित किया गया। इस समिति में नो दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत चिरतार्थ करते हुए,क्या अनुशंसा की है,यह पब्लिक डोमेन में अभी तक नही।सरकार,कम से कम, समिति की अनुशंसाएं तो सार्वजनिक करे। इसके अतिरिक्त बीमा क्लेम्स के भुगतान में देरी और अनियमितताएँ ठीक करने, विभिन्न कारणों से, विभिन्न क्षेत्रों में फसलों में हुए समान नुकसान पर समान दर पर बीमा भुगतान की उनकी मांग है। साथ ही समान रूप से अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों में भिन्न तहसीलों में भिन्न मानदंडो के कारण कहीं अभावग्रस्तता घोषित की गई और कहीं नहीं। इस असमानता को ठीक करने की मांग है। इन मांगों को ज्यादा सशक्त तरीके से सरकारों तक पहुंचाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालना चाहते थे। इसका पुलिस या सामान्य प्रशासन कैसे विरोध कर सकते है?

यदि किसानों की मांगों पर विचार करें और सरकारों द्वारा उन मांगों के औचित्य के विरुद्ध चलाये तर्क युद्ध पर विचार करें तो बहुत सी मांगों के सम्बंध में सरकार के तर्क औचित्य विहीन लगते हैं। सरकार की ओर से तर्क दिया जाता है कि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए सभी राज्यों के लिए केंद्र एक कानून कैसे बना सकती है? संवैधानिक दृष्टि से यह तर्क एक नोसिखये व्यक्ति के तर्क से अधिक कुछ नहीं। और यदि सरकार का यही तर्क सही भी मानें तो, बिना स्टाक होल्डर्स से व्यापक विचार विमर्श के बिना संसद को विश्वास में लिए कृषि से सम्बंधित तीन काले ऑर्डिनेंस-कानून क्यों, कैसे लाए गए?

सरकार की पैरवी करने वाले तर्क देते रहें है कि केंद्र सरकार के कुल 45 लाख करोड़ के बजट में 20,25 लाख करोड़ रु मूल्य की, वाली सारी फसलों के उत्पादों को खरीदना असम्भव है। बात सारी फसलों के उत्पाद खरीदने की है ही नहीं। केंद्र सरकार को केवल तब तब खरीदी करनी है जब बाजार भाव से नीचे जाएं।यह इंटरवेंशन सीधी खरीद के माध्यम से हो सकता है अथवा प्रभावित किसानों को बाजार दर और की अंतर राशि देकर किया जा सकता है। बीमा कम्पनियों द्वारा फसलों को हुए नुकसान का त्वरित आंकलन करना और शीघ्र भुगतान करना, यदि किसानों की मांग है तो क्या नाजायज बात है इसमें बीमा कंपनियों को पर्याप्त संख्या में, तकनीकी दृष्टि से अच्छे प्रशिक्षित कर्मचारी फील्ड में रखने चाहिए और सेटेलाइट इमेजरीज के उपयोग से फसलों में हुए नुकसान का त्वरित आंकलन करना चाहये और यह वर्तमान में उपलब्ध टेक्नोलॉजी से आसानी से किया भी जा सकता है ?

किन्तु अनुभव तो यह बताता है कि बीमा कम्पनियां अधिकांशतः, हर तहसील/पंचायत समिति स्तर पर आवश्यकता होने पर 1, 2 रिटायर्ड पटवारी आदि को एंगेज करती है, जिनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती। बीमा कराए किसानों के लिए , बीमा कंपनियों का अखबारों आदि में प्रचारित, फसलों को हुए नुकसान आदि की सूचना देने के लिए,सो काल्ड हमेशा उपलब्ध दूरभाष या तो हैं नहीं या नो रिस्पॉन्स वाले हैं। दूदू, किशनगढ़ व लगे क्षेत्रों में चना, मूंग मुख्य वाणिज्यक फसलें है और अधिकतर किसानों को इन्हें घोषित से नीचे बेचना पड़ता है। मैंने सरसों के एक बड़े खरीददार से बात की। उनका कहना था वर्तमान में 5000 रुपये क्विंटल के आसपास भाव है जो घोषित , 5650 रु क्विंटल से 600-700 रुपये कम है। किसानों के अनुसार तो उन्हें सरसों 4200 रु. क्विंटल के भाव से भी बेचनी पड़ती है। अभी राजस्थान में सरसों मंडियों में आ रही है। खरीद की व्यवस्था के अभाव में किसानों को सरसों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 प्रति क्विंटल प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा किसी भी किसान को उसकी उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को विवश नहीं होने देने की बात संसद में अनेकों बार घोषणा की गई है। 8 अक्टूबर 2023 को व 7 फरवरी 2024 को केंद्र के दो मंत्रियों के सार्वजनिक बयान हैं कि सरसों मूंगफली जैसी तिलहन एवं दलहन की उपजो की दाने-दाने की खरीद की सरकारी कार्यक्रम की बात कही थी। उसकी भी पालना में कोई आदेश संबंधित किसी भी संस्था को नहीं आया है। किसान बाजार में लुट रहा है।

मैनें एक गांव के जागरूक किसान से पूछा कि जब किसानों के अनुसार उनकी बहुत सी मांगे तर्क व तथ्यों पर आधारित है तो सरकार उनको बोलने,प्रदर्शन के अधिकार से भी क्यों वंचित करना चाहती है,मानने की बात तो दूर की है? उसके उतर नें मुझे अचंभित किया-किसानों के पास ताकत नहीं? किसानों में खेती की समस्याओं के बारे में किसान वर्ग की समस्याओं पर आधारित एकता नहीं। लोकतंत्र में निर्णय सरकार व संसद, विधायीकाएँ लेती है और वहां किसान वर्ग का सशक्त प्रतिनिधित्व नहीं होकर विभिन्न पार्टियों के विधायक है जिनका किसानों के वर्ग हित के प्रति समझ व प्रतिबद्धता से भिन्न पार्टियों के आदेशों के लिए प्रतिबद्धता है। किसान जब तक किसानों के हितों से भिन्न ,जाती,धर्म आदि के अनुसार बंट कर मतदान करते रहेंगे तब तक उनकी मांगों-व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। राजनीतिक पार्टियां, चुनाव के समय छोटे-बड़े प्रतीकात्मक काम करके (जैसे चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देना) थोड़ी बहुत बढ़ाकर, शीघ्र खरीद शुरू करके, जातियों के बड़े लोगों को चुनाव प्रत्याशी बनाकर, चुनावी घोषणा पत्रों में लोक लुभावनी बातें लिख कर किसानों को खुश करने के प्रयास करके,उनके मतों को आसानी से विभाजित कर देते है।

आगे उसका कहना था कि विभिन्न वाणिज्यक, औद्योगिक संगठनों की मांगे सरकार तत्काल मानने के आतुर दिखती है क्यों कि उनमें वर्ग हित के प्रति एकता दिखती है, उनके पास तथ्य इक्कठे करने, उनका विश्लेषण करके सरकारों के सामने सशक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाने के लिए अच्छे निपुण लोग, अच्छी व अपडेट लाइब्रेरी, सुसज्जित कार्यालय हैं, लगातार अनुसंधान ,विश्लेषण करते है। अंत में उसका कहना था, सबसे बड़ी बात यह है कि इन संगठनों के पास, इन से जुड़े धन कुबेरों के पास, पार्टियों को चुनावी चंदा देने के लिए खूब सारे फंड्स होते हैं, किसानों के पास तो ऐसा कुछ होता नहीं।

महावीर सिंह,
(पूर्व आईएएस)।

खाटूश्यामजी का वार्षिक लक्खी मेला शुरू

बाबा श्याम के लक्खी मेले को लेकर देशभर के श्याम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए भक्तजन खाटू नगरी पहुंच रहे हैं

खाटूश्यामजी में हजारों श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में मत्था टेककर खुशहाली की कामना की।

बाबा श्याम के ग्यारह दिवसीय मेले की तैयारियों को श्री श्याम मंदिर कमेटी व जिला प्रशासन ने अंतिम रूप दिया।

खाटूश्यामजी, (निसं)। करोड़ों भक्तों की आस्था के केन्द्र बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला सोमवार को शुरू हो गया है। देश के कोने-कोने से लाखों श्याम भक्त इस वार्षिक महोत्सव में लखदातार का दीदार करने खाटूश्यामजी पहुंचेंगे। बाबा श्याम के इस ग्यारह दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी व जिला प्रशासन अंतिम रूप दे रहा है।

बाबा श्याम के लक्खी मेले को लेकर देशभर के श्याम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए भक्तजन खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। सोमवार को बाबा श्याम के लक्खी मेले का प्रथम दिन रहा और हजारों श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में मत्था टेककर खुशहाली की कामना की। बाबा श्याम के इस वार्षिक महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने नौ सेक्टर में विभाजित कर व्यवस्था की है। वहीं श्री श्याम मंदिर कमेटी ने आने वाले श्याम भक्तों के लिए पेयजल, बिस्कुट, टॉफी, छाया इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था की है। बाबा श्याम के आने वाले भक्तों की जैसे ही भीड़ बढ़ेगी वैसे-वैसे भक्तों के लिए दर्शन मार्ग में परिवर्तन करके सुगमतापूर्वक दर्शन कराये जायेंगे।

बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के अवसर पर मंगलवार को बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार किया जाएगा। तिलक श्रृंगार के चलते बाबा श्याम के पट आम भक्तों के लिए बंद रखे जायेंगे। गौरतलब है कि अमावस्या को बाबा का स्नान हुआ था और अब मंगलवार को बाबा श्याम का तिलक होगा और सायं छह बजे भक्तों के दर्शनार्थ बाबा के पट खोले जाएंगे।

- **लखदातार की एक झलक पाने को आतुर दिखे श्याम श्रद्धालु**
- **तिलक श्रृंगार के चलते शाम को बाबा श्याम के दर्शन होंगे**
- **लक्खी मेले के अवसर पर मंगलवार को बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार किया जाएगा**

बाबा श्याम के 11 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले के आगाज पर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी व पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने सेक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त रूप से थाना परिसर में ब्रीफिंग लेकर मेले के दौरान गाइडलाइन के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने ड्यूटी अधिकारियों से कहा कि श्याम श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था के साथ-साथ अच्छा व्यवहार भी रखे जिससे श्रद्धालु एक अच्छा शकुन महसूस कर सके। इस दौरान एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा, एडीएम ओमप्रकाश बिश्नोई, रींगस डीवाईएसपी महावीर सिंह सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट व सुरक्षा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

इस बार संपूर्ण मेला क्षेत्र 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर बार संपूर्ण मेला क्षेत्र 8 सेक्टर में विभाजित रहता है। इस बार दर्शन निकास व्यवस्था को नया सेक्टर बनाते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं ड्यूटी अधिकारी लगाए गए हैं। बढ़ती भीड़ को दर्शन के साथ-साथ निकास की उत्तम व्यवस्था हो सके उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय पुलिस थाने के जवानों में से 9 सेक्टर के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी भी बनाए गए जो सम्पूर्ण मेला व्यवस्थाओं में ड्यूटी मजिस्ट्रेटों का सहयोग करेंगे।

राशिफल मंगलवार 12 मार्च, 2024

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, रेवती नक्षत्र रात्रि 8:29 तक, शुक्ल योग प्रातः 7:53 तक, कौलव करण प्रातः 7:14 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 8:29 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मकर, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रात्रि 8:29 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 8:29 से आरम्भ होगा। आज कुलेरा दोज (स्वर्य सिद्धि अबूझ मुहूर्त), आज श्री रामकृष्ण परमहंस जयन्ती है। पंचक रात्रि 8:219 पर समाप्त होंगे। आज से रमजान मु.मास 9 आरम्भ होगा। आज रोजा आरम्भ होगा। आज तृतीया तिथि का क्षय हुआ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:40 से 11:08 तक, लाभ-अमृत 11:08 से 2:05 तक, शुभ 3:33 से 5:02 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:43, सूर्यास्त 6:30

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। पारिवारिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन प्राप्त होगा।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

सिंह
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कन्या
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
परिवार में शुभ-मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। शुभ कार्य में भाग ले सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिल सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। मन में असंतोष बना रहेगा। मित्रों-रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

मीन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।